However, export quotas totalling 12.20 lakh bales of cotton have been released to various State Cooperative Marketing Federations and other agencies, including the private ginners/trade during the current cotton season (1996-97), as on date. Of this quantity, quota of 4.10 lakh bales have been allotted to various State Federations/Corporations, besides another 4.65 lakh bales allotted to CCI and NAFED.

(d) During the 1996-97 season, till 26/12/96, the Maharashtra State Cooperation Cotton Growers Marketing Federation Ltd. have been allotted an export quota of 1 lakh bales. The Federation has requested for release of a further export quota of two lakh bales of cotton. Allocations are considered only after taking into account all relevant factors.

सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेले

2701. **श्री रामजीलाल:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) इन मेलों में भाग लेने के लिए शिल्पकारों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ग) इन मेलों में अर्जित कुल आय को आयोजकों और शिल्पकारों में किस प्रकार वितरित किया जाता है; और

(घ) ऐसे मेलों के आयोजनों से इन शिल्पकारों और आयोजकों ने कितना-कितना लाभ अर्जित किया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) सरकार प्रतिवर्ष लगभग 60 हस्तशिल्प मेले आयोजित करती है।

(ख) इन मेलों में भाग लेने वाले शिल्पियों का चयन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार की गई कारीगरों की सूची के आधार पर किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेताओं, श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालों, लुप्तप्रायः शिल्पों में कार्यरत शिल्पियों, वृद्ध तथा महिला शिल्पियों और समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित शिल्पियों को वरीयता दी जाती है। सामान्यतः एक बार चयनित शिल्पकार को अगले तीन वर्षों तक दूसरा अवसर नहीं दिया जाता।

(ग) और (घ) इन मेलों का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना है और उनके द्वारा उपार्जित आय का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सरकार को इन मेलों से कोई आय नहीं होती।

वस्त्र उद्योग से वसूल की गई बिजली की दरों में अन्तर

2702. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा और गुजरात में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वसूल की जाने वाली बिजली दरों में अत्यधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और क्या त्रिपुरा और गुजरात में बुनकरों को महंगी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत दर से अलग दर राज्य में बुनकरों से वसूल की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) से (घ) विद्युत प्रभार लगाने से संबंधित मामला राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड का विषय है। वस्त्र मंत्रालय ने विद्युतकरघा बुनकरों पर लगाये जाने वाले कोई विशेष विद्युत प्रभारों को निर्धारित नहीं किया है।

गुजरात कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना

2703. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना को दीर्घावधि विस्तार प्रदान करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस पर शीघ्र निर्णय करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) गुजरात में कोई अपरिष्कृत कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Scheme to compensate the Employees of closed Textile Mills By BIFR

2704. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to compensate the employees of closed textile mills by BIFR; and

(b) if so, the details thereof; and by when it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (b) Government has set up a Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) to provide interim relief to the workers rendered jobless due to permanent closure of textile mills. The scheme came into force with effect from 15.09.1986. The scheme is also extended to partially closed units, provided the State Government recommend that the entire uneconomic activity (like weaving & processing) has been scrapped as a part of a rehabilitation package for sick/ weak mills (as per RBI definition) approved by the Nodal Agency/BIFR, provided the scrapped capacity is surrrendered for cancellation and endorsement is made on the licence/ registration certificate to that effect.

देश में कपास उत्पादन

2705. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कपास के उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कपास की मांग की मात्रा का कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक मांग किस दर से बढ़ी है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995-96 (सित०-अगस्त) के दौरान देश में कपास का उत्पादन कपास सलाहकार बोर्ड (कैब) के 24.2.97 के अनुमान के अनुसार 160 लाख गांठों का था।

(ग) जी हां।

(घ) कपास सलाहकार बोर्ड के मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1995-96 के लिए देश में कपास के लिए मांग 159.00 लाख गांठों की थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक मांगों में वृद्धि की दर का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। राज्य सभा में देश में कपास उत्पादन के बारे में श्री राम जेठमलानी द्वारा दिनांक 19.3.1997 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2705 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(आंकड़े लाख गांठ में — प्रत्येक गांठ 170 कि० ग्रा०)

वर्ष	खपत	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1993-94	127.00	1.59
1994-95	135.04	6.33
1995-96 (सितम्बर-अगस्त)	151.00	11.85

Bachawat Tribunal Award

2706. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI K.M. KHAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the height of the Almatti Dam has been increased violating the Bachawat Tribunal Award;

(b) whether the Centre would implement the recommendations of the Chief Minister's Committee appointed to look into the violations of the Award; and